पत्रांक– मं०मं०–06/बजट (अनु० आगणन)–56/2016.....10........

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

राम विलास पासवान,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
(निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी),
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक 20/12/2016

विषय – वित्तीय वर्ष 2016–17 में मांग संख्या–04 के बजट शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं–गैर योजना–00–090–सचिवालय–0024–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग विपत्र कोड–N2052000900024 के अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि रू० 35,00,000 (पैंतीस लाख रू०) मात्र 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए व्यय हेतु आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब० 15/बी०एस०जी०–279/2016–1211/वि० दिनांक–15.12.2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में मांग संख्या–04 के बजट शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं–गैर योजना–00–090–सचिवालय–0024–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग विपत्र कोड– N2052000900024 गैर योजना में द्वितीय अनुपूरक आगणन 2016–17 द्वारा विषय शीर्ष–यात्रा व्यय में रू० 2,00,000 कार्यालय व्यय में रू० 20,00,000 तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में रू० 13,00,000 कुल राशि रू० 35,00,000 (पैंतीस लाख रू०) का बजट उपबंध प्राप्त है तथा उपबंधित राशि को 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए नियमानुसार व्यय किया जा सकता है।

02. वित्त विभाग के पत्रांक–ब० 15/बी०एस०जी०–279/2016–1211/वि० दिनांक–15.12.2016 के आलोक में राशि का आवंटन निम्नप्रकार दी जाती है।

विषय शीर्ष	आय व्ययक अनुमान 2016–17	द्वितीय अनुपूरक आगणन 2016–17	पूर्व में आवंटित राशि	इस पत्र के द्वारा दिया जा रहा आवंटन	इस वर्ष में अब तक कुल आवंटित राशि
11 01 यात्रा व्यय	13,20,000	2,00,000	13,20,000	2,00,000	15,20,000
13 01 कार्यालय व्यय	25,00,000	20,00,000	25,00,000	20,00,000	45,00,000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	40,00,000	13,00,000	40,00,000	13,00,000	53,00,000
कुल	**78,20,000**	**35,00,000**	**78,20,000**	**35,00,000**	**1,13,20,000**

(पैंतीस लाख रू०) मात्र।

03. आवंटित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–2052– सचिवालय सामान्य सेवाएं–गैर योजना–00–090–सचिवालय–0024–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग विपत्र कोड–N2052000900024 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में विकलनीय होगा। इसकी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं इसकी निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

04. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि० (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–4572, दिनांक–03.06.2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

05. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

06. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

20/12/16

(राम विलास पासवान)
सरकार के अपर सचिव

E:\Budget\आवंटन.doc

ज्ञापांक – मं0मं0–06 / बजट (अनु०आगणन)–56 / 2016....10....पटना–15, दिनांक....20/12/...., 2016 ,
प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/16

(राम विलास पासवान)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – मं0मं0–06 / बजट (अनु०आगणन)–56 / 2016....10....पटना–15, दिनांक....20/12/...., 2016
प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/16

(राम विलास पासवान)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – मं0मं0–06 / बजट (अनु०आगणन)–56 / 2016....10....पटना–15, दिनांक....20/12/...., 2016
प्रतिलिपि – वित्त विभाग, (बजट शाखा) / लेखा शाखा (दोहरी प्रतियों में) / आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/16

(राम विलास पासवान)
सरकार के अपर सचिव